ALL IN ONE GS 11 FEBRUARY 2019

Development of the Indian Constitution
भारतीय संविधान का विकास

- The Constitution of India was formed through a process of formation of the constituent assembly which drafted, debated, deliberated, amended and finally formed a final Constitution of India.
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसमें भारत के अंतिम संविधान का मसौदा तैयार किया गया, उस पर विचार-विमर्श किया गया, उसमें संशोधन किया गया।
- The process has historical roots in the British administration in India from the Company rule to the Crown rule.
- कंपनी के शासन से लेकर क्राउन शासन तक भारत में ब्रिटिश प्रशासन में इस प्रक्रिया की ऐतिहासिक जड़ें हैं।
- It derived many functions of administration and division of power and duties from various Regulating Acts and Government of India Acts passed by the British in India.
- इसने भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित विभिन्न रेग्युलेटिंग एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स से प्रशासन और सत्ता के विभाजन के कई कार्य किए।
- Eventually, it was drafted under the leadership of Dr. BR Ambedkar, who along with other drafting committee members adopted various practices and methods from other constitutions in the democratic world.
- आखिरकार, डॉ बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में इसका मसौदा तैयार किया गया, जिन्होंने अन्य मसौदा समिति के सदस्यों के साथ लोकतांत्रिक दुनिया में अन्य संविधानों से विभिन्न प्रथाओं और तरीकों को अपनाया।
- The Constitution was adopted finally on 26 Nov. 1949 with the seal of the Constituent Assembly of India.
- 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा की मुहर के साथ संविधान को अंततः अपनाया गया।

Regulating Act- 1773
रेगुलेटिंग एक्ट – 1773

- The Regulating Act of 1773 was an Act of the Parliament of Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company's rule in India.
- 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को समाप्त करना था।
- The first step was taken by the British Parliament to control and regulate the East India Company in India.
- भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
- The Regulating Act of 1773 was based on the report of a committee headed by the British Prime Minister Lord North.
- 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित था।

Features / विशेषताएं:

- It designated the Governor of Bengal (Fort William) as the Governor-General (Bengal).
- बंगाल के गवर्नर (फोर्ट विलियम) को गवर्नर-जनरल (बंगाल) के रूप में नियुक्त किया गया।
- Warren Hastings became the first Governor-General of Bengal.
- वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल बने।
- It subordinated the Governors of Bombay and Madras to the Governor-General of Bengal.
- बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अंतर्गत कर दिया गया।
- The Supreme Court was established at Fort William (Calcutta) as the Apex Court in 1774.
- सर्वोच्च न्यायालय को फोर्ट विलियम (कलकत्ता) 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया।
- There were four judges including the Chief Justice (Sir Elijah Impe).
- मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इंपे) सहित चार न्यायाधीश थे।
- It prohibited servants of the company from engaging in any private trade or accepting bribes from the natives.
- इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूलवासियों से रिश्वत लेने से निषिद्ध किया।

THE PITT'S INDIA ACT- 1784
पिट्स इंडिया अधिनियम- 1784

- Distinguished between commercial and political functions of the company.
- कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया।
- Established of Court of Directors for Commercial functions, and Board of Control for political affairs.
- वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स, एंव राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल की स्थापना की गयी।
- The companies' territories in India were called "The British India".
- भारत में कंपनियों के क्षेत्र को "ब्रिटिश भारत" कहा जाने लगा।
- Governor council were established in Madras and Bombay.
- मद्रास और बम्बई में गवर्नर परिषद की स्थापना की गई।

THE CHARTER ACT- 1833 चार्टर अधिनियम- 1833

- Trade monopoly of the East India Company came to end, Trade with India opened the door to all Britishers.
- ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, भारत के साथ व्यापार के लिए दरवाजा सभी अंग्रेजों के लिए खोला गया।
- The Christian Missionaries were allowed to spread their religion in India.
- ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रसार करने की अनुमति थी।
- The Charter Act of 1833 received royal assent on August 28, 1833, and came into force on April 22, 1834.
- 1833 के चार्टर एक्ट ने 28 अगस्त, 1833 को शाही स्वीकृति प्राप्त की और 22 अप्रैल, 1834 को लागू हुआ।

Provisions of the Act / अधिनियम के प्रावधान:

- 'Governor-General of Bengal', became as the 'Governor-General of India' and his council as the 'Indian Council'.
- बंगाल के गवर्नर-जनरल, 'भारत के गवर्नर-जनरल' और उनकी परिषद 'भारतीय परिषद' बनाये गये।
- First Governor-General of India was Lord William Bentinck.
- भारत के पहले गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
- This was the final step towards centralization in the British India.
- यह ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम चरण था
- Commercial activities of the East India Company finally put to an end.
- ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां अंततः समाप्त हुईं।
- This was the last the Charter Acts.
- यह अंतिम चार्टर अधिनियम था।
- The legislative and executive functions of the Governor-General Introduced of indirect elections (nomination).
- अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान (नामांकन)
- Enlarged the size of the legislative council.
- विधान परिषद के आकार को बढ़ाया गया
- Council were separated.

- गवर्नर-जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग कर दिए गये।
- Recruitment of the Company's employees was to be done through competitive exams (Indian Civil Service opened to door for all).
- कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना था (सभी के लिए भारतीय सिविल सेवा का दरवाजा खोला गया)।

THE GOVERNMENT OF INDIA ACT- 1858
भारत सरकार अधिनियम- 1858

- The rule of Company was replaced by the rule of the British Crown in India.
- भारत में कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के शासन द्वारा बदल दिया गया।
- The Governor-General was made the Viceroy of India.
- गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया।
- Lord Canning was the first Viceroy of India.
- लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था।
- The powers of the British Crown were to be exercised by the Secretary of State for India.
- ब्रिटिश क्राउन का अधिकार भारत में राज्य सचिव द्वारा प्रयोग किया जाता था।
- He was assisted by the Council of India, having 15 members.
- उन्हें भारतीय परिषद द्वारा सहायता मिली, जिसमें 15 सदस्य थे।
- Board of Control and Court of Directors were abolished.
- बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया।

Note:

- Court of Directors- Commercial functions
- कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स- वाणिज्यिक कार्य
- Board of Control- Political affairs
- बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल- राजनीतिक मामले

INDIAN COUNCILS ACT- 1861
भारतीय परिषद अधिनियम - 1861

- Introduced for the first time Indian representation in the institutions like Viceroy's executive and legislative council (non-official).
- वायसराय के कार्यकारी और विधायी परिषद (गैर-आधिकारिक) जैसे संस्थानों में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्तुत किया गया।
- 3 Indians entered Legislative council.
- 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया।
- Legislative council were established in Centre and provinces.
- विधान परिषद, केंद्र और प्रांतों में स्थापित की गई थी
- In India, ordinance and veto power was introduced the first time.
- भारत में, अध्यादेश और वीटो शक्ति पहली बार पेश की गई थी।

INDIA COUNCIL ACT- 1892
भारत परिषद अधिनियम- 1892

- Introduced of indirect elections (nomination).
- अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान (नामांकन)
- Enlarged the size of the legislative council.
- विधान परिषद के आकार को बढ़ाया गया

INDIAN COUNCILS ACT- 1909
भारतीय परिषद अधिनियम- 1909

- Enlarged the functions of the Legislative Council and gave them the power of discussing the Budget and addressing questions to the Executive.
- विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गयी।
- This Act is also known as the Morley- Minto Reforms.
- इस अधिनियम को मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है।
- Changed the name of the Central Legislative Council to the "Imperial Legislative Council".
- केन्द्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर "इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल" कर दिया गया।
- The member of Central Legislative Council was increased to 60 from 16.
- केन्द्रीय विधान परिषद के सदस्य को 16 से बढ़कर 60 कर दिया गया था।
- The first time Indians introduced in Viceroys executive council. (Satyendra Prasad Sinha, as the law member)
- भारतीयों को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रवेश मिला (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य के रूप में)
- The first time, provision for separate representation of the Muslim community and thus sowed the seeds of separatism.
- पहली बार, मुस्लिम समुदाय के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इस प्रकार अलगाववाद के बीज बोये गये।

GOVERNMENT OF INDIA ACT- 1919
भारत सरकार अधिनियम- 1919

- This Act is also known as the Montague-Chelmsford Reforms.
- इस अधिनियम को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है
- Introduced, for the first time, bicameralism at states.
- राज्यों में पहली बार द्विसदन की व्यवस्था की गयी।
- The Upper House was named the Council of State.
- ऊपरी सदन को राज्य परिषद का नाम दिया गया था।
- Provision of 140 members in Legislative Assembly and 60 members in Legislative council.
- विधान सभा में 140 सदस्यों और विधान परिषद में 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया।
- Provision of Direct election.
- प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान।
- The establishment of Public Service Commission.
- लोक सेवा आयोग की स्थापना।
- Dual governance, was introduced in the Provincial.
- प्रान्तों में द्वैध शासन को लाया गया।
- The provincial subjects were divided into two parts – transferred and reserved.
- प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया - स्थानांतरित और आरक्षित

Mahendra's
YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS
Specialized in Banking, SSC, Railway & other Competitive Examinations
TOLL FREE NO : 1800-103-5225 (9 am to 6 pm)